सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 663 राँची, बुधवार, 19 श्रावण, 1938 (श०) / 10 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अनुदेश

17 जून, 2016

विषयः- भारत के बाहर सेमिनार/विचारगोष्ठी, कार्यशाला, उच्चत्तर अध्ययन या प्रशिक्षण, विशिष्ट सम्मेलन आदि में भाग लेने अथवा सरकारी कार्य पर विदेश यात्रा के लिये राज्य सरकार के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ।

संख्या-3/विविध-07-11/2016 का. 5095-- उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार सरकार के पत्रांक सी०एस०-01/ए०-201/83-1568 दिनांक 17 मई, 1983 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1348 दिनांक 6 अगस्त, 2015 के क्रम में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की विदेश यात्रा को विनियमित करने तथा इन यात्राओं को अधिक कारगर बनाने हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 527/मु०स०, दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा सभी विभागों को परिचारित निम्नलिखित दिशा-निर्देश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायः-

1. पदाधिकारियों के स्तर और प्रतिनिधिमंडल की संख्या के निर्धारण में पदाधिकारियों की विशिष्ट योग्यता एवं दौरे में उनकी उपयोगिता को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा तथा इसकी समीक्षा कर ही प्रस्ताव गठित किया जाएगा, ताकि प्रतिनिधिमंडल का आकार छोटे से छोटा रखा जा सके । वैसे उद्देश्य जिनकी प्राप्ति पत्र व्यवहार, टेली/वीडियो काफ्रेंसिंग इत्यादि के माध्यम से हो सकती है, उनके लिये विदेशी दौरे की आवश्यकता नहीं है ।

2. दौरे की अवधि कम से कम रखी जायेगी । प्रत्येक मामले में प्रशासी सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्चस्तरीय पदाधिकारियों के स्थान पर विषय से सम्बन्धित उपयुक्त कार्यवाह पदाधिकारियों को ही प्रायोजित/प्रतिनियुक्त किया जाय ।

3. विदेशी दौरे 05 कार्यदिवस से अधिक नहीं होंगे ।

4. कोई पदाधिकारी एक वर्ष में 04 से अधिक विदेश का सरकारी दौरा नहीं करेंगे ।

5. अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों में अधिकारियों की भागीदारी को हतोत्साहित किया जायेगा । यदि आवश्यक समझा जाय तो मात्र विषय के साथ सीधे जुड़े हुए पदाधिकारी को ही प्रतिनियुक्त किया जायेगा ।

6. सरकार के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव केवल तभी विदेश यात्रा करेंगे जबकि उनकी ही उपस्थिति अपेक्षित हो तथा उनके स्थान पर किसी और को प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता है ।

7. सचिव विधानसभा की सत्रावधि में तबतक कोई विदेशी दौरा नहीं करेंगे, जबतक कि यह पूर्णतः अपरिहार्य न हो ।

8. सचिव/अपर सचिव के नेतृत्ववाले समेकित प्रतिनिधिमंडल, जिसमें संयुक्त सचिव एवं उनसे नीचे के पदाधिकारी एवं गैर-सरकारी पदाधिकारी (सरकारी लागत पर यात्रा करनेवाले) शामिल हों के सम्बन्ध में प्राधिकार के समक्ष पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ।

9. किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर पदाधिकारी द्वारा सीधे तौर पर प्राप्त आमंत्रण और जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार के कार्यकलाप से नहीं है, तो उसे निजी

दौरा माना जायेगा । पदाधिकारी को ऐसी यात्रा की अवधि के लिये अवकाश लेना होगा और ऐसी यात्रा सरकारी खर्च पर नहीं की जा सकती है ।

10. विदेश यात्रा से वापस लौटने के पश्चात् पदाधिकारी/प्रतिनिधि मंडल का नेता भ्रमण प्रतिवेदन राज्य सरकार के Website के संगत भाग पर अपलोड करेगा तथा उसे विभागीय मंत्री के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भ्रमण की प्रमुख उपलब्धियाँ और यात्रोपरान्त परिणाम भी शामिल होंगे । प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भी उपलब्ध करायी जाएगी ।

11. इसके अतिरिक्त, ऐसे बिन्दु जो उपर्युक्त अनुदेशों से अच्छादित नहीं हैं, के सम्बन्ध में यदि विदेश यात्रा की अनुमति के क्रम में मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार का Office memorandum दिनांक 5 जनवरी, 2016 के दिशा-निर्देश मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 663 –50 ।